



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-65

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 267871 दिनांक 20/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Tarun Kumar Sharma S/o RAM KRISHAN SHARMA	श्री आशिष मुखर्जी पुत्र श्री जे0एल0 मुखर्जी	190	200.00 SQ. YARD	Private	NARAYAN VIHAR-R Sector/Block-	Name Transfer	आवेदक श्री तरुण कुमार शर्मा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार आर के भूखण्ड संख्या 190 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार आर के भूखण्ड संख्या 190 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का पट्टा श्री आशिष मुखर्जी पुत्र श्री जे0एल0 मुखर्जी के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 27.12.2017 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								मैसर्स चन्द्रकृपा डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री आशुतोष जोशी को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का उपविभाजन कर नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु आवेदन किये जाने पर जोन कार्यालय द्वारा पत्रांक डी-666 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 04.07.2019 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उपविभाजित भूखण्ड संख्या 190-ए क्षेत्रफल 100 व0ग0 का बैचान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं श्री तरुण कुमार शर्मा को किया गया। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेज अनुसार दिनांक 26.04.2021 को श्रीमती लक्ष्मी देवी की मृत्यु होने पर इनके विधिक वारिसान श्रीमती प्रीती ओझा पत्नी श्री योगेश ओझा एवं श्री दीपक श्रीमाली पुत्र स्व0
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री रामकृष्ण शर्मा
द्वारा दिनांक
23.08.2022 को
आवेदक श्री तरुण
कुमार शर्मा के
पक्ष में रजि0
हकत्याग किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Tarun Kumar Sharma S/o RAM KRISHAN SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |